

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

फैसल संख्या - 332/2021

निर्णय दिनांक :- 21/8/2022

सुनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. जगदीश पुत्र लादू जाति भील निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. पाना पुत्री लादू जाति भील निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सीता पुत्री लादू जाति भील निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष-


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 65 ख0नं0 823 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 825 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 826 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 827 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 828 रकबा 0.39 है, ख0नं0 829 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 830 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 903 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 929 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 931 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम ककोडिया तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में अंकित खाता संख्या 65 ख0नं0 823 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 825 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 826 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 827 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 828 रकबा 0.39 है, ख0नं0 829 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 830 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 903 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 929 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 931 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम ककोडिया की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


(भारत भूषण गौयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली